

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ॥

(प्रशिक्षण निदेशालय)

J.P.G.P. OFFICE DIRECTOR.....

Add. Director.....

By: महानिदेशक प.11(01)प्रशि./फोलोसी/2016/4350-4423 दिनांक: 09-06-2016

At: (जयपुर).....

At: (जयपुर).....

At: (जयपुर).....

At: (जयपुर).....

At: (जयपुर).....

At: (जयपुर).....

स्थाई आदेश क्रमांक-- 8 / 2016

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27(3) के तहत सहायक उप निरीक्षक पुलिस से उप निरीक्षक पुलिस के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 30 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित निर्देश/ आदेश के व्यतिक्रम में सहायक उप निरीक्षक पुलिस से उप निरीक्षक पुलिस का संलग्न पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित जाता है।



(मनोज मट्ट) 6/6/16
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर

परिचालिका:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मय जीआरपी अजमेर/ जोधपुर।
7. प्रधानाचार्य आरपीटीसी जोधपुर।
8. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कुल, जोधपुर/ किशनगढ़/ खैरवाड़ा/ झालावाड़/ बीकानेर/ अलवर/ भरतपुर/ पीएमडीएस बीकानेर।
9. कमाण्डेन्ट पुलिस कमाण्डो ट्रेनिंग स्कुल, जोधपुर।
10. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस
सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
(प्रशिक्षण अवधि-08 सप्ताह, परीक्षा अवधि-1 सप्ताह)

1	कुल अवधि	63 दिन
2	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध दिन	48 दिन
3	अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए 48 (दिवस) x 6 (कालांश)	288 कालांश
4	बहिरंग प्रशिक्षण के लिए 48 (दिवस) x 2 (कालांश)	96 कालांश
5	फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षाएं	3 दिन
6	इण्डोर परीक्षाएं	3 दिन
7	खेल 48x1	48 कालांश

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्न में 45 प्रतिशत अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रों का योग का 50 प्रतिशत (एग्जीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
2. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वारा प्रदत्त (आन्तरिक मूल्यांकन) अंकों के योग का 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
3. समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षाएँ मस्केट्री एवं फायरिंग को छोड़कर बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
4. परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा।
5. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :-
 1. महानिरीक्षक पुलिस अध्यक्ष
 2. उप महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षक सदस्य
 3. उप निदेशक एवं प्राचार्य सदस्य सचिव

राजस्थान पुलिस

सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक

पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विवरण	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
1	शारीरिक प्रशिक्षण	100	—	—	—
	A शारीरिक प्रशिक्षण	100	48	—	—
	क - फ्री-हैण्ड पी.टी.	—	—	40	20
	ख - योगासन, प्राणायाम	—	—	40	20
	ग - रोडवॉक एण्ड रन 2 किमी (पुरुष :- दो किलोमीटर पैदल चाल/दौड़ - पुरे अंक प्राप्त होने के लिए 12 मिनट, हर अतिरिक्त 15 सेकेंड के 1 अंक कर दिया जावेगा) (महिलाओं :- एक किलोमीटर पैदल चाल/दौड़ - पुरे अंक प्राप्त होने के लिए 09 मिनट, हर अतिरिक्त 15 सेकेंड के 1 अंक कर दिया जावेगा)	—	—	20	08
2	शस्त्र प्रशिक्षण , मस्कट्री, फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स	100	48	—	—
	A फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स	30	27	—	—
	1. फील्ड क्राफ्ट	—	—	04	02
	2. पेट्रोलिंग	—	—	04	03
	3. नाकाबन्दी	—	—	04	05
	4. अम्बुश	—	—	04	02
	5. घेराबन्दी	—	—	04	02
	6. बलवा परेड	—	—	10	13

राजस्थान पुलिस
सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
अंतरंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विवरण

प्रश्न पत्र – I

वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान	पूर्णांक :- 100
	कालांश :- 90
मॉड्यूल-एक – वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी	कालांश – 36
अ- भारतीय दण्ड संहिता –	कालांश 15
1. धारा 21 से 25, 28, 30, 34, 52क, 75 सामान्य अपवाद धारा 76 से 106, 304 बी	
2. धारा 295 से 298 तक, 498ए, 406, 153क, 295-298	
3. धारा 107 से 117, 120, 120ख; 159, 160 से 165, 191 से 195, 212, 257, 319 से 322, 34, 149, 509, 511	
ब-दण्ड प्रक्रिया संहिता –	कालांश 15
1. परिभाषा – धारा 2	
2. गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान (धारा 41,41क,41ख,41ग,41घ), 42, 46, 47, 50, 50क, 51, 57, 60	
3. लोक शान्ति भंग होने संबंधी प्रावधान धारा 106 से 124, 129 से 152	
4. तलाशी – धारा 100,102,467 से 473	
5. जमानत – धारा 436 से 439 तक	
ग-साक्ष्य अधिनियम –	कालांश 06
1. परिभाषा – धारा 3- तथ्य, दस्तावेज, सुसंगत, विवाद्यक तथ्य, साक्ष्य, उपधारणा	
2. स्वीकृति एवं संस्वीकृति – धारा 23 से 27,	
3. विशेषज्ञ की राय व साक्ष्य – धारा 45 से 47,159,160	
4. साक्ष्य की सक्षमता धारा 113ए, 113बी, 114ए, 118 से 134	

डॉ. इयूल-दो -- अनुसंधान :- सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक

कालांश-54

अ- अनुसंधान (विधिक प्रावधान)

कालांश 04

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 से 176, 299, 300, 82, 83

ब- व्यावहारिक कार्य

कालांश 08

अनुसंधान का व्यावहारिक कार्य - प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन को एकत्र करने की सावधानियाँ व उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही को चैक करना, अनुसंधान की कार्य योजना बनाना, साक्ष्य का चार्ट बनाना, सबूतों की सुरक्षा, नक्शा मौका, बयान, पंचायतनामा, फर्द गिरफ्तारी, मृत्यु वारंटी, राफ़ीना, रिमाण्ड, अंतिम रिपोर्ट, पूछताछ के तरीके व पूछताछ की रिपोर्ट बनाना।

स- विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. हत्या एवं मानव वध, मारपीट व बलवा, आपराधिक अतिचार व हत्या का प्रयास कालांश 08

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 304, 306, 323 से 330, 341, 342, 307 व 308 एवं 141 से 153क तक, 447 से 460, 504, 511
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1), मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना।
- अनुसंधान धारा 302 भा0द0सं0 की पूर्ण पत्रावली तैयार करना
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण धारा 302 व 304 भा0द0सं0
- धारा 302, 304, 325, 326, 307, 308 में अन्तर व लागू करने की परिस्थितियाँ
- धारा 34 व 149, 447, 448, 451, 452 में अन्तर व लागू करने की परिस्थितियाँ
- अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना धारा 456, 457

2. चोरी, नकबजनी, उद्दापन, लूट एवं डकैती इनका प्रयास कालांश 08

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 378, 379, 380, 381, 382, 384, 392, 399, 402 से 409, 457, 458, 461, 411, 413, 414, 511
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी
- अनुसंधान पत्रावली धारा 395 भा0द0सं0 तैयार करना
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 27, 32(1) फर्द इतला, फर्द बरामदगी तैयार करना व जानकारी।
- चोरी, नकबजनी, लूट व डकैती के प्रकरणों में सुराग जुटाना/ कार्यप्रणाली/ अपराधी रिकार्ड/ मुखबिर मामूर करना तथा एम0ओ0बी0 से अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
- स्कूटनी नोट बनाना।

3. राजकार्य में व्यवधान एवं सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान कालांश 04

- धारा 186, 332, 333, 353 व 3 पी0डी0पी0पी0 एक्ट
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही व एकत्रित किये जाने वाले साक्ष्य
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- स्कूटनी नोट बनाना।

4. माहिलाओं के विरुद्ध यौन शोषण एवं बलात्कार संबंधी प्रकरण कालांश 04

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 354 से 377, 506, 509, 511 एवं नवीनतम संशोधन
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत बयान कराने बाबत जानकारी
 - धारा 376 की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
 - स्कूटनी नोट बनाना।
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
5. धोखाधड़ी एवं कपटपूर्ण दस्तावेजों के प्रकरण कालांश 08
- भारतीय दण्ड संहिता धारा 193, 403, 411, 415 से 420, 467, 468, 471
 - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही एवं योजना बनाना
 - भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के बारे में नोटिस का प्रारूप बनाना/ दस्तावेज तलब करने हेतु नोटिस तैयार करना।
 - विवादग्रस्त दस्तावेज व विवाद रहित दस्तावेज प्राप्त करना
 - विवादग्रस्त हस्तलेख, हस्ताक्षर, विवाद रहित हस्तलेख व हस्ताक्षर लेना तथा लिये गये नमूने को मिलान हेतु एफ0एस0एल0 भिजवाना व राय प्राप्त कर उस पर कार्यवाही करना।
 - भूमि संबंधी प्रकरणों में राजस्व रिकार्ड का अध्ययन, राजस्व अधिकारियों की भूमिका
 - मिथ्या दस्तावेज व कूट रचित दस्तावेज में अन्तर करना।
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
 - प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
 - वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।
6. आत्महत्या का प्रयास एवं दुष्प्रेरण कालांश 06
- भारतीय दण्ड संहिता धारा 107 से 114, 306
 - घटनारथल से साक्ष्य एकत्रित करना, एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
 - वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
7. मर्ग कालांश 04
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174
 - मर्ग की सम्पूर्ण पत्रावली तैयार करना
 - तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
 - वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना
 - एफ0एस0एल0 विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना
 - घटनारथल से साक्ष्य एकत्रित करना

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जावे।

प्रश्न पत्र – II

विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 90

गोंड्यूल-तीन – विविध अधिनियम

कालांश :- 54

1. एन0डी0पी0एस0एक्ट- 1985 कालांश 08
 - एन0डी0पी0एस0 अधिनियम-1985 धारा 2, 8, 20, 41, 42, 50, 53
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
 - स्कूटनी तैयार करना
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कालांश 08
 - दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 की धारा - 1 से 4, 11 क व ख,
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - स्कूटनी नोट तैयार करना
3. लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम – 1984 (पीडीपीपी एक्ट) कालांश 08
 - महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना धारा 3,4,5
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
 - स्कूटनी नोट तैयार करना
4. राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम –1995 कालांश 08
 - महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना धारा 1, 3, 5, 8
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
 - स्कूटनी नोट तैयार करना
5. अन्य अधिनियमों की जानकारी कालांश 22
 - शस्त्र अधिनियम – 1959 धारा 3, 4, 7, 8, 19, 25, 27 से 30, 39
 - पशु क्रूरता अधिनियम – 1960 धारा 2, 11, 13, 20, 26
 - जुआ अध्यादेश धारा 3 से 5, 13
 - मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम-1994 धारा 2 से 4, 18 से 20
 - राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम – 1999 धारा 2, 3, 5 से 11
 - माटर वाहन अधिनियम
 - मृत्यु भाजा निवारण अधिनियम-1960
 - वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972
 - वजारी राईट एक्ट-1957
 - इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधि0 1978



- 1--परिशान्ति व सदाचार बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही कालांश 16
 1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 106 से 110, 116, 117, 122, 151।
 2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 108 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 110 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता 122 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
 5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 151 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
- 2--लोक व्यपस्था बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही कालांश 06
 1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 129 से 132, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
 2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 144 व 144क, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही, निषेधाज्ञा उल्लंघन करने पर 188 भारतीय दण्ड संहिता में कार्यवाही
- 3--लोक न्यूसेन्स हेतु निरोधात्मक कार्यवाही कालांश 04
 1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 133, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
 2. इस्तगासा तैयार करना
- 4--भूमि संबंधी विवादों पर परिशान्ति भंग होने की आशंका में निरोधात्मक कार्यवाही कालांश 04
 1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 145 व 146, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
 2. इस्तगासा तैयार करना
 3. परिशान्ति में सम्पत्ति को लेना रिसिवरी के अधिकार व कर्तव्य के संबंध में
- 5-- गुण्डा एक्ट एवं एच.ओ. एक्ट के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी कालांश 04
- 6-- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस एवं धारा 174 एवं 176 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत इस्तगासा तैयार करना। कालांश 02

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जावे।

प्रश्न पत्र - III
पुलिस थाना/कार्यालय की कार्यप्रणाली

मॉड्यूल-पांच - थाना प्रबन्धन एवं संचालन

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 54

अ-विधिक प्रावधान -

कालांश 14

- राजस्थान पुलिस नियम-1965 के नियम 3.1, 3.2, 3.10 से 3.14, 3.34, 3.37 से 3.40, 5.1, अध्याय 6 एवं 7
- राजस्थान पुलिस एक्ट - 2007 की धारा 2, 10, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 32 से 39, 43, 44, 55, 60
- राजस्थान पुलिस नियम - 2008 - सामान्य जानकारी
- लोकशाही गारण्टी अधिनियम - 2012 परिचय, सामान्य जानकारी
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम व अपील) नियम -1958 नियम 14, 15,16,17,18 व 19

ब-दैनिक कार्यवाही -

कालांश 16

- रोलवॉल की उपयोगिता
- स्त्रियाँ डेस्क, महिला डेस्क
- केस ऑफिसर स्कीम, हार्ड कोर क्रिमिनल स्कीम, सीएल0जी0
- वोट प्रणाली - सम्पूर्ण बीट वर्क मोड्यूल, क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, बीट में मुखबिर बनाना, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स, बीट का सर्वे, बीट मैप तैयार करना, सज्जम पड़ोसी होना, सम्बल योजना, नौकरों का रिकार्ड, सी.पी.ओ., सी.एल.जी.सदस्यों से समन्वय
- वोट अधिकारी/ कर्मचारी का समुचित पर्यवेक्षण।
- आतंकात नियन्त्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)

स- थाना अधिकारी/द्वितीय व ड्यूटी ऑफिसर की भूमिका-

कालांश 18

- थाने पर प्राप्त सूचना पर कार्यवाही (पुलिस रेसपोन्स टाईम) :- परिवाद, एफआईआर, कानून प्रवर्धन आपराधिक आसूचना आदि।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तथा कार्यवाही पुलिस लिखने का महत्व
- थाने पर उपलब्ध बल का समुचित नियोजन।
- गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी।
- महिलाओं/बालकों के सम्बन्ध में नवीनतम सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी।
- प्रथम व्यवस्था ड्यूटी में बाहर से आने वाले जाप्ते का समायोजन एवं प्रबन्ध
- थाने पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, अनुसंधान अधिकारियों का पर्यवेक्षण
- थाने पर उपलब्ध बलों के कल्याण एवं भ्रष्टाचार का समुचित प्रबन्ध
- महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं मौके पर जाकर स्थिति को सम्भालना
- सी0एल0जी0 एवं शान्ति समिति के कार्यों में थानाधिकारी की भूमिका

1- पुलिस लाइन में उप निरी0 के एल0ओ0 एवं चालानी गार्ड इन्चार्ज के रूप में भूमिका कालांश 02

2- पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा एवं विशेष शाखा की जानकारी कालांश 02

3- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक कार्यालय में रीडर के कार्यों की जानकारी कालांश 02

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जावे।

प्रश्न पत्र – IV

नेतृत्व कौशल, मानव व्यवहार, विधि विज्ञान एवं कम्प्यूटर

पूर्णांक :- 100

माड्यूल-छः--

कालांश :- 54

अ. नेतृत्व कौशल एवं मानव व्यवहार

1. संगठनात्मक व्यवहार – **(Organizational behaviour)** कालांश-06
 - संवाद – मौखिक, लिखित, सांकेतिक, व्यवहार विश्लेषण (Communication- oral, written, non verbal, transactional analysis)
 - समूह गतिकी एवं समूह निर्माण . (Group dynamics and team building)
 - नेतृत्व (Leadership)
 - अभिप्रेरण (Motivation) विभिन्न सिद्धांत: व्यक्तिगत एवं पारिस्थितिक (Different Theories : Personal and Environment factor)
2. मानव व्यवहार **(Human Behavior)** कालांश-06
 - व्यक्तित्व के प्रकार (Types of personality)
 - नेतृत्व कौशल (Leadership skill)
 - शक्ति के प्रकार (Types of power)
 - नेतृत्व एवं निर्णय लेने के तरीके (Leadership and decision making styles)
3. नैतिक व्यवहार **(Ethical behaviour)** कालांश-06
 - पुलिस के कार्यों में नैतिकता की सार्थकता
 - व्यावसायिक नैतिकता
 - लोक सेवा की अवधारणा
 - पुलिसिंग के मूलभूत सिद्धान्त
 - लोकतंत्र एवं विधि का शासन- न्याय एवं निर्णय, स्वतन्त्रता, सम्मान, पुलिस आचार संहिता
 - पुलिस कार्यों में नैतिक दृष्टिकोण आपराधिक प्रकरणों का पंजिकरण, अनुसंधान एवं अभियोजन
 - महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठजनों से व्यवहार
4. मानव संसाधन प्रबंधन **(Human Resource Managment)** कालांश-05
 - अधीनस्थ का व्यावसायिक सशक्तिकरण
 - संवाद परस्पर व्यवहार एवं परामर्श हेतु प्रशिक्षण (Training for Communication, Negotiation and Counselling)
5. मूलभूत कौशल प्रबंधन **(Basic Manegment Skills)** कालांश-05
 - लेखन क्षमता
 - रिपोर्ट लेखन
 - मीडिया प्रबंधन

१

- आसूचना एवं सुरक्षा -

कालांश -04

- 1 आसूचना से अभिप्राय एवं आसूचना संकलन की विधियां
- 2 वी.आई.पी. सुरक्षा
- 3 वी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वाड, एण्टी सबोटॉज चैक
- 4 सुरक्षा उपकरणों की जानकारी

ब - विधि विज्ञान

कालांश - 08

- 1 अपराध अन्वेषण में जैव खण्ड की वैज्ञानिक सहायता एवं उपयोग संदिग्ध आसव / संदिग्ध मदिरा, एन.डी.पी.एस द्रव्यो आदि के नमूनों का परीक्षण, अग्रवेषण एवं परीक्षण
- 2 विधि विज्ञान के संभावित प्रकरणों में विसरा एवं जैव तत्वों का महत्व व परीक्षण
- 3 प्रलेख, लेख, हस्ताक्षरों के संबंध में विधि विज्ञान की सहायता व नमूनों का संकलन तथा परिणाम का उपयोग
- 4 आग्नेय अस्त्रो व विस्फोटको की जानकारी तथा उनके प्रकार
- 5 चाटों के प्रकार, शव परीक्षण, मृतक के शरीर पर पाये जाने वाले निशान, लक्षण तथा मृत्यु के कारण
- 6 D.N.A. ब्रेन मैपिंग, नारको टेस्ट की बैसिक जानकारी

घ - कम्प्यूटर बेसिक्स

कालांश - 14

Computer basics

- 1 Computer fundamental and importance of computer
- 2 Hardware and software of a computer system
- 3 Operating systems - windows (Theory, Practical)
- 4 Backup and storage Devices. Virus/Antivirus
- 5 Microsoft word - 2007 (Theory, Practical)
- 6 Microsoft excel - 2007 (Theory, Practical)
- 7 Overview of Networking - Internet, Searching & Emailing (Theory, Practical)
- 8 Mobile forensic/ CDR Analysis
- 9 Overview of CCTNS

आन्तरिक मूल्यांकन

अंक :-50

क्र.सं.	विषय एवं संदर्भ	अंक
1	प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रुचि।	25
2	अनुशासन	25

राजस्थान पुलिस
सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विवरण	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
1	शारीरिक प्रशिक्षण	100	—	—	—
	A शारीरिक प्रशिक्षण	100	48	—	—
	क - फ्री-हैण्ड पी.टी.	—	—	40	20
	ख - योगासन, प्राणायाम	—	—	40	20
	ग - रोडवॉक एण्ड रन 2 किमी (पुरुष :- दो किलोमीटर पैदल चाल/दौड़ पुरे अंक प्राप्त होने के लिए 12 मिनट, हर अतिरिक्त 15 सेकेंड के 1 अंक कर दिया जावेगा) (महिलाओं :- एक किलोमीटर पैदल चाल/दौड़ - पुरे अंक प्राप्त होने के लिए 09 मिनट, हर अतिरिक्त 15 सेकेंड के 1 अंक कर दिया जावेगा)	—	—	20	08
2	शस्त्र प्रशिक्षण , मस्केट्री, फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स	100	48	—	—
	A फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स	30	27	—	—
	1. फील्ड क्राफ्ट	—	—	04	02
	2. पेट्रोलिंग	—	—	04	03
	3. नाकाबन्दी	—	—	04	05

4	अम्बुश	—	—	04	02
5	घेराबन्दी	—	—	04	02
6	बलवा परेड	—	—	10	13
B शस्त्र प्रशिक्षण व मस्केट्री		70	21	—	—
क - शस्त्र ज्ञान		20	15	—	—
1.	9.एमएम पिस्टल/ .38रिवाल्वर, ग्लोक पिस्टल	—	—	10	06
2.	9 एमएम स्टेनगन/ कारबाईन	—	—	04	02
3.	रबड बुलेट, प्लास्टिक पेलेट, गैस गन एवं गैस ग्रेनेड	—	—	04	04
4.	विस्फोटको के प्रकार, बम कैसे बनाया जाता है (बम के घटक), बम और आई.ई.डी. में अन्तर, बम ब्लॉस्ट की क्रिया विधि / विस्फोटक डिवाइस/ विस्फोटक नमूने, आई.ई.डी.।	—	—	02	03
ख - मस्केट्री व फायरिंग		50	06	—	—
9एमएम पिस्टल/ रिवाल्वर		—	—	—	—
I.	एप्लीकेशन 20 गज 5 राउण्ड बैटलक्राउच पोजीशन टारगेट फिगर -11	—	—	25	—
II.	एप्लीकेशन 25 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर -11	—	—	25	—

मस्केट्री फायरिंग अंक विवरण :-

1. 9 एमएम पिस्टल/ रिवाल्वर प्रत्येक हिट पर 2 अंक

नोट:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में माड्यूलस का क्रम वार प्रशिक्षण दिया जायेगा, यथा माड्यूल एक से आरम्भ कर उसके पूर्ण होने पर माड्यूल नं0 दो एवं तत्पश्चात् क्रमवार पूर्ण होने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।